छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
::मंत्रालय:: महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर – 492002

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 13 MAR 2023

कमांकः एफ 17–76/2022/55:: राज्य शासन एतद् द्वारा सचिवालय, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, रायपुर द्वारा की गई **संकल्प पत्र पृ.क्र./पीए/एएफआरसी/2023/13, दिनांक 13.01.2023** द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालय श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, जुनवानी भिलाई, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, भानसोज, रायपुर एवं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, मोवा रायपुर में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में अंतरिम फीस पुनरीक्षण किया गया है, जिसे निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता हैः–

क0	एम.बी.बी.एस. महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया	श्रेणी	Fees (Inclusive fo Growth & Development Charges, Weightage and all other misc.fees per year/per student & also for half year Rs.
1	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, जुनवानी भिलाई, जिला–दुर्ग, छ0ग0	2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025	साधारण (Average)	Rs. 7,99,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,99,593.5/-
2	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, भानसोज रोड, गोढ़ी रायपुर, छ0ग0	2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025	साधारण (Average)	Rs. 7,45,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,72,593.5/-
3	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, मोवा, रायपुर, छ0ग0	2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–2024	अच्छा (Good)	Rs. 7,50,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,75,093.5/-

उपर्युक्त फीस अंतरिम फीस है। एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के संबंध में समिति द्वारा पारित संकल्प दिनांक 13.01.2023 के अंतर्गत, जो शर्तें एवं निर्देश दिए गए हैं, वे बंधनकारी होंगे।

2/ उपरोक्त आदेश प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के द्वारा पारित संकल्प दिनांक 13.01.2023 से प्रभावशील होगा।

उपरोक्तानुसारः– संलग्न

Directorate Medical Education
Raipur (C.G.)
RECEIPT
14 MAR 2023
No. 567
Signature

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जनक कुमार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

.....2/

क्रमांक एफ 17–76/2022/55, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 3 MAR 2023

प्रतिलिपि :–

1 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

2 निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

3 अध्यक्ष, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति, शासकीय सह–शिक्षा पॉलिटेक्निक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)

4 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नवा रायपरु अटल नगर, (छ॰ग॰) की ओर आपके पत्र क्रमांक 1564/छात्र/संचिशि/2023 एवं पत्र क्रमांक/1562/छात्र/संचिशि/2023 दिनांक 17.02.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

5 संबंधित संस्था.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6 आदेश फोल्डर हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग छ.ग. एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, भानसोज रोड़, गोढ़ी रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है

संकल्प दिनांक 13/01/2023

1. छ0ग0 निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है ।

2. ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग छ.ग. एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, भानसोज रोड, गोढ़ी रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है ।

3. उक्त दोनों संस्थाओं में पूर्व में दिनांक 08/09/2022 को पारित संकल्प द्वारा अंतरिम फीस निर्धारित की गई थी और इस संकल्प के द्वारा उसे अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है ।

121

4. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया ।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (**Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka**) के प्रकरण में शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of theinstitution, investment made, futureplan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.

198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours,

the tuition and other fees should be within the reach of common people.

6. इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481 का न्यायदृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं :-

> 56. .... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money ....
>
> 57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence in education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational

(123)

institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

7. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A. Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा-92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

92."Education, accepted as a useful activity, whether for charity orfor profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है:-

175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrancetest conducted by the State and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR 2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

9. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि :-

1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :-

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थितिः

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृतिः

(ग) भूमि और भवन का मूल्यः

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्करः

(ड.) प्रशाासन तथा संधारण पर व्ययः

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आर्वश्यक युक्तियुक्त आधिक्यः

(छ) कोई अन्य सुसंगतकारक :

10. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. के सदस्य द्वारा उपरोक्त निजी संस्था का निरीक्षण भी किया गया । संबंधित संस्था, छात्र एवं पालकों को समुचित सुनवाई का अवसर भी दिया गया ।

11. दिनांक 06/01/2023 को समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, संस्था के प्रतिनिधि डॉ. प्रकाश वाकोडे, डीन, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी, भिलाई उपस्थित हुए, उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया । उन्होंने अपनी ओर से जो फीस प्रस्तावित की है, उसके संबंध में यह तथ्य बताया गया कि फेकल्टी और अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए उन्हें अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है, ताकि अच्छे शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके । उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने

12,61,82,010.26 रूपये की राशि लोन पर ब्याज के रूप में अदा भी की है तथा यह लोन लेबोरेटरी को व्यवस्थित रखने के लिए, आवश्यक उपकरण क्रय करने के लिए, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए, छात्रों की सुख/सुविधाओं के लिए राशि व्यय की गयी है, इसलिए उक्त आधार पर उन्होंने फीस रूपये 20,00,000/- निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है ।

12. दिनांक 09/01/2023 को समिति द्वारा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, ग्राम गोढ़ी भानसोज के निरीक्षण के दौरान संस्था प्रतिनिधि डॉ. गंभीर सिंह उपस्थित हुए, उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया । उन्होंने अपनी ओर से जो फीस प्रस्तावित की है, उसके संबंध में यह तथ्य बताया गया कि फेकल्टी और अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए उन्हें अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है, ताकि अच्छे शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके । उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने 1,13,76,79,358/- रूपये राशि की लोन भी लिया है और लेबोरेटरी को व्यवस्थित रखने के लिए, आवश्यक उपकरण क्रय करने के लिए, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए, छात्रों की सुख/सुविधाओं के लिए राशि व्यय की गयी है, इसलिए उक्त आधार पर उन्होंने फीस रूपये 25,00,000/- निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है ।

13. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के उपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि उपर **PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923)** वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है । यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था । उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया

है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है । संस्था को अपने स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए । इस तरह के कोई भी व्यय छात्रों के उपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उपर वर्णित न्यायदृष्टांतों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी ।

14. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जा रही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी । यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

15. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा जरूरी आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे, जो महत्पवूर्ण शीर्ष है, वह निम्नानुसार माने जा सकते हैं:-

Promiment Heads (महत्पवूर्ण शीर्ष)

1. **Teaching staff expenditure**
2. **Non-Teaching Staff expenditure**
3. **Workshop consumable**
4. **Electricity expenditure**
5. **Telephone, internet and softwares**
6. **Water and & Cleaning expenditure**

7. Travel & Conveyance
8. Repairing & Maintenance
9. Operation & Administrative expenses
10. Printing, Postage and Stationary
11. Insurance, Tax
12. Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)
13. Educational Tour exp.
14. Sports & NSS
15. Annual social exp.
16. Research & Development
17. Other misc. expenses

16. ए.एफ.आर.सी. द्वारा अधिनियम, 2008 की धारा-9 में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संस्था का भ्रमण किया गया, ताकि संस्था को उचित प्रोत्साहन राशि (इंसेटिव) भी दिया जा सके । प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए समिति ने तीन श्रेणियां निर्धारित की है । (अ) बहुत अच्छा (Very Good), (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण (Average)

17. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल मेडिकल शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकें । अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें । अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़

की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्ति संगत होगा । अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण किया जा रहा है ।

18. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो **Observation** (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार है :-

> **"While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education"**

19. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है । इस राज्य में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,04,943/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,24,685/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,93,121/- है एवं भारत की वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,50,000/- है ।

20. छ.ग. राज्य चूंकि पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का ही भाग रहा है । अन्य पड़ोसी राज्य जैसे मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित की गयी है उसका भी यहां पर वर्णन किया जाना तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है ।

फीस का तुलनात्मक विवरण राज्यों के बीच निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का निर्धारण किया गया	कुल फीस
1.	Chirayu Medical College Hospital, Bhopal (M.P.)	2022-23	13,25000
2.	Amaltas Institute of Medical Sciences, Dewas Road, Ujjain (M.P.)	2022-23	12,32000
3.	Mahaveer Institute of Medical Sciences Research, Badwai, Bhopal(M.P.)	2022-23	10,0000
4.	R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)	2022-23	9,00,000
5.	Vedanta Institute of Medical Institute of Medical Sciences, Palghar, (Maharashtra)	2022-23	16,47,000
6.	Smt. KashibaiNavale Medical College,Narhe, Pune(Maharashtra)	2022-23	13,91,000
7.	N.K.P Salve Institute of Medical Sciences and Reserch Centre, Nagpur, (Maharashtra)	2022-23	11,66,000
8.	SMBT Institute of Medical Scieneds and Research, Nashik , (Maharashtra)	2022-23	11,60,000
9.	K.J. Somaiya Medical and REserch Centre, Sion, Mumbai, (Maharashtra)	2022-23	11,27,500
10.	B K L Walawalkar Rural Medical College, Chiplun, Ratnagiri, (Maharashtra)	2022-23	10,85,000
11.	Ashwini Rural Medical College Hospital &Reserch Centre, Sholapur, (Maharashtra)	2022-23	9,85,000
12.	M.I.M.S.R Medical College, Latur, (Maharashtra)	2022-23	8,15,000
13.	A.C.P.M. Medical College, Dhule, (Maharashtra)	2022-23	6,60,000
14.	Prakash Institute of Medical Sciences and Reserch, Sangli, (Maharashtra)	2022-23	4,84,000

21. इस तरह उपर जो पड़ोस के राज्यों की फीस का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार देखा जाए तो मध्यप्रदेश राज्य में अधिकतम फीस रू. 13,25,000/- एवं न्यूनतम रू. 9,00,000/- है । वहीं महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम फीस रू. 16,47,000/- एवं न्यूनतम रू. 4,84,000/- है । इसमें कुछ नये कॉलेज भी हैं, जिनकी फीस पुराने कॉलेज की अपेक्षा कम रखी गई है, क्योंकि उतने संसाधन नये कॉलेज में नहीं पाए गये तथा कुछ कॉलेजों की फीस ज्यादा है, क्योंकि फीस के निर्धारण में जो गणक विचार योग्य है, उसे ही विचार में लिया जाकर फीस का निर्धारण किया जा सकता है । संबंधित संस्था ने महाराष्ट्र राज्य के वर्धा के दत्ता मेघे कॉलेज की फीस का उल्लेख किया है, जिसकी फीस रूपये 19,50,000/- है। यह संस्था एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा स्वयं ही फीस निर्धारित की है, किसी ए.एफ.आर.सी. द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय जैसा कि उपर इस्लामिक एकेडमी के प्रकरण में उल्लेख किया है कि फीस के निर्धारण के लिए प्रत्येक राज्य में समिति गठित की जानी चाहिए और वही समिति फीस का निर्धारण करेगी, इसलिए संबंधित संस्था द्वारा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस संबंधी विवरण प्रस्तुत किया है वह इस फीस निर्धारण में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

22. पूर्व में इन दोनों ही संस्थाओं में संचालित एम.बी.बी.एस. कोर्स हेतु शिक्षण सत्र 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए निम्नानुसार फीस का पुनरीक्षण किया गया है, जो निम्नवत् है :-

स.क्र.	छत्तीसगढ़ राज्य के निजी एम. बी.बी.एस. कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस पुनरीक्षण किया गया	Fees(Inclusive of Growth & Development Charges, Weightage and all other Misc. Fees per year per student and also for half year Rs.

132

1.	शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई छ.ग.	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 6,45,156/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,22,578/-
2	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, गोढ़ी, भानसोज, रायपुर छ.ग.	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 6,00,156/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,00,078/-

23. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में फीस पुनर्निर्धारण हेतु तरीका एवं गणना : -

1. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी, भिलाई द्वारा जो व्यय के आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं, इसके संबंध में ए.एफ.आर.सी. के वित्त सदस्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री योगेश वर्ल्यानी द्वारा संबंधित संस्था के व्यय के ऑकड़ों के संबंध में यह उललेख किया गया है कि संस्था की ओर से जो एकाउंट्स प्रस्तुत किया गया है वह एम.बी.बी.एस. और एम.एस./एम.डी. सभी कोर्सों के लिए समान प्रस्तुत कर दिया गया जिसके कारण किसी विशेष कोर्स के टीचिंग स्टॉफ के लिए जो खर्च किया जा रहा है वह पृथक से आंकलन नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त वित्त सदस्य द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित संस्था के खातों की जांच में बैंक चार्जेस के रूपमें 1,29,25,620.01 रूपये वर्ष 2021-22 के लिए उल्लेखित है जिसके विपरीत 1,28,98,836.43 रूपये बैंक में जमा न किये जाकर "श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी" को दिये गये । इस तरह इस खर्च का क्या संबंध है, इसको स्पष्ट खाते में नहीं किया गया । इसी तरह खर्चों में लोन पर ब्याज के रूपमें 12,61,82,010.26 रूपये दर्शाये गये हैं । यह राशि भी बैंक में जमा नहीं की गई बल्कि "श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी" को दी गई है । वित्त सदस्य ने ग्रुप सेलेरी और कर्मचारी कॉस्ट के संबंध में भी उल्लेख किया है कि स्नातकोत्तर छात्रों को स्टाईपेंड के रूप में 16,76,435/- रूपये,

(133)

स्नातक छात्रों को स्टाईपेंड के रूपमें 1,14,69,721/- रूपये देना दर्शाया गया है । यद्यपि स्नातकोत्तर छात्रों को अवश्य स्टाईपेंड दिया जाता है । स्नातक स्तर के छात्रों को नहीं । लेकिन ये दोनों तरह के छात्र महाविद्यालय के साथ संलग्न अस्पताल में सेवायें दे रहे थे । ऐसे में इनको किये गये भुगतान मेडिकल कॉलेज के खर्चे में शामिल किया जाना भी समुचित नहीं है क्योंकि संबंधित मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल से होने वाली आय को खर्चों की गणना में शामिल नहीं किया गया है । इसी तरह स्टॉफ को जो वेतन का भुगतान दिया जाना खातों में दर्शाया जा रहा है वह लगभग 3.25 करोड़ से 3.56 करोड़ प्रतिमाह दर्शा रहे हैं जिसकी स्क्रूटनी करने पर यह पाया गया कि यह राशि किस स्टॉफ को दी जा रही है उनका नाम भी खातों में नहीं दर्शाया जा रहा है । केवल कुछ लोगों के नाम पर राशि जमा हुई है । अत्यधिक लोगों के नाम का उल्लेख खातों में वर्णित नहीं है । इसी तरह डेप्रिसियेशन जो कि नॉनकैश एक्सपेंसेस के रूप में लिया जाता है, यह 9,79,38,499/- रूपये है जो कि कैश एक्सपेंडिचर नहीं है इसलिए उसे भी खर्चों में शामिल नहीं किया जा सकता ।

2. इस तरह संस्था द्वारा जो अपने आय/खर्चे के विवरण दिये गये हैं वे एक तरह से पूरी संस्था के एकजाई हैं और सही तथ्यों का उल्लेख नहीं दर्शाया गया है इसलिए उनके खर्चे काल्पनिक ही अधिक दिखालाई देते हैं और इस आधार पर उनके खातों को देखकर खर्चों की गणना करके फीस का आंकलन संभव नहीं है । संस्था ने बारबार जानकारी मांगे जाने के बाद भी दिनांक 27.12.2022 को आंकड़े उपलब्ध कराये वह भी पूर्ण नहीं है तथा वह 2020-21 के हैं । उस वर्ष को आधार लेकर वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 की गणना की जाये तो काफी अधिक विषमतायें दिखलाई दे रही

(136)

है। इस आधार पर उनके खातों को देखकर खर्चों की गणना करके फीस का आंकलन संभव नहीं है।

3. रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, ग्राम गोढ़ी, भानसोज द्वारा प्रस्तुत किये गये आय-व्यय के आंकड़े और अन्य जानकारियों के संबंध में ए.एफ. आर.सी. के वित्त सदस्य श्री योगेश वर्ल्यानी द्वारा संबंधित संस्था के व्यय के आंकड़ों के बारे में उल्लेख किया गया है कि एम.बी.बी.एस. और एम.डी. /एम.एस. कोर्स के लिए सभी कोर्सों के लिए समान प्रस्तुत कर दिया गया जिसके कारण किसी विशेष कोर्स के टीचिंग स्टॉफ के लिए जो खर्च किया जा रहा है वह पृथक से आंकलन नहीं किया जा सकता । ग्रुप सेलेरी और इम्प्लाई कास्ट के निर्धारण के लिए खर्चों को देखने हेतु जो डाटा पेनड्राईव में दिया गया वह लिमिटेड असेस दर्शाता है अर्थात इसका पूर्ण अवलोकन के लिए पासवर्ड या अन्य कोई जानकारी लगेगी जो संस्था ने उपलब्ध नहीं कराई इसलिए वे पूर्ण अवलोकन भी नहीं कर सकते जबकि उन्हें इस हेतु बार बार सूचना भी दी गई । इसी तरह वित्त सदस्य ने उल्लेख किया है कि व्यय संबंध में लेजर खाते में एमिनिटीस चार्जेस के रूप में 2.31 करोड़ रूपये खर्च दिखाया गया जिसमें से 1 करोड़ रूपये 31.12.2022 का व्यय करना दिखाया लेकिन किसे और किस देयक के विरूद्ध दिया गया वह स्पष्ट नहीं हुआ और अन्य खाते भी लिमिटेड असेस के कारण जांचना संभव नहीं पाया गया । व्यय में डीजल व पेट्रोल के रूप में नगद खर्च 2.45 लाख एक दिन में व्यय करना दर्शाया गया जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमति योग्य भी नहीं है और प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में कोई बिल भी ऐसा नहीं प्राप्त हुआ । वित्त सदस्य ने यह भी उल्लेख किया है कि दिसंबर 2022 तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.38 करोड़ रूपये भुगतान दर्शाया गया और

(135)

1.06 करोड़ रूपये नगद भुगतान दर्शाया गया जो कि बनावटी दिखलाई पड़ता है । वित्त सदस्य ने यह भी उल्लेखित किया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 दिसंबर तक 1,33,00,000/- रूपये खर्च दर्शाया गया है जिनमें से अधिक राशि दिनांक 30.06.2022 के और 31.10.2022 को क्रमशः 55.78 लाख और 12.54 लाख रूपये उल्लेखित है । वित्त सदस्य के अनुसार यह राशि खर्चों के रूप में दिखाई गई है लेकिन खातों और देयकों से इस बात की पुष्टि के लिए आंकड़े मिलान नहीं करते हैं । खर्चों में कल्चरल और इवेंट मैनेजमेंट के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 दिसंबर 2022 तक 2.35 करोड़ रूपये खर्च होना दिखाया गया है जिसमें से 2 करोड़ रूपये दिनांक 30.12.2022 को एक सिंगल एंट्री के द्वारा दिखाया गया है जिसकी भी पुष्टि खातों से संभव नहीं है । इसी तरह डेप्रिसियेशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस के रूप में लिया जाता है, यह 7.96 करोड़ है जो कि कैश एक्सपेंडिचर नहीं है इसलिए उसे भी खर्चों में शामिल नहीं किया जा सकता ।

4. संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा स्वयं का अस्पताल भी संचालित किया जा रहा है, जिसे अपने व्यय पर ही वे संचालित कर रहे हैं । छात्रों की फीस पर वह आश्रित नहीं है, संस्था को इससे भी आय प्राप्त होती है और इसके लिए जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनका भी उपयोग संस्था द्वारा लिया जाता है, उसमें होने वाले व्यय को फीस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, बल्कि वह संस्था की आय का ही स्त्रोत है । संस्था द्वाराजो व्यय के ऑकड़े प्रस्तुत किया गया है वह काल्पनिक परिलक्षित होते हैं ।

5. चूंकि पूर्व में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिए समिति द्वारा जो फीस निर्धारित की गई थी उसमें आवश्यक मानदंडों को ध्यान रखते हुए

निर्धारण किया गया था जो अंतिम थी और जिसे पूर्व में चुनौती भी नहीं दी गई थी । इस तरह वह फीस वर्ष 2021-22 तक प्रभावशील थी । ऐसी स्थिति में अब चूंकि फीस का पुनर्निर्धारण ही किया जाना है और पुनर्निर्धारण के लिए भारतवर्ष एवं राज्यों के आर्थिक आंकड़ों को विचार में लिया जा सकता है ।

6. भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो होलसेल प्राईस इण्डेक्स वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 106.9, वर्ष 2013-14 में 112.5, वर्ष 2014-15 में 113.9, वर्ष 2015-16 में 109.7, वर्ष 2016-17 में 111.6, वर्ष 2017-18 में 114.9, वर्ष 2018-19 में 119.8, वर्ष 2019-20 में 121.8, वर्ष 2020-21 में 123.4, वर्ष 2021-22 में 139.4 वर्णित है ।

7. इसी तरह कंज्युमर प्राईस इण्डेक्स 2012 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 102.5, वर्ष 2013-14 में 112.2, वर्ष 2014-15 में 118.9, वर्ष 2015-16 में 124.7, वर्ष 2016-17 में 130.3, वर्ष 2017-18 में 135.9, वर्ष 2018-19 में 139.6 मानते हुए लगभग प्रति वर्ष 6.04 औसत इन्फ्लेशन दर का अनुमान लगाया ।

8. इसी तरह इन्फ्लेशन इण्डेक्स का भी उल्लेख यहां किया जाना समुचित है जिसमें वर्ष 2001-02 को आधार वर्ष मानते हुए गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 200, वर्ष 2013-14 में 220, वर्ष

2014-15 में 240, वर्ष 2015-16 में 254, वर्ष 2016-17 में 264, वर्ष 2017-18 में 272, वर्ष 2018-19 में 280, वर्ष 2019-20 में 289, वर्ष 2020-21 में 301, वर्ष 2021-22 में 317, एवं वर्ष 2022-23 में 331 वर्णित है । इस तरह 2019-20 के पश्चात् 289 से 331 अंक पाये गये

9. जैसा कि उपर प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ धनी राज्यों की श्रेणी में नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता अत्यधिक खर्च उठाने के लिए सक्षम भी नहीं है और फीस निर्धारण करने के समय छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है । संबंधित महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा छ.ग. की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को विचार में रखते हुए जबकि छ.ग. राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आमदनी अन्य वर्ग की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होती है, को विचार में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, के छात्र कम से कम अपने राज्य में चिकित्सकीय पाठ्यक्रम में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके ।

10. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्युट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस गोढ़ी के निरीक्षण के समय संस्था के डीन को समस्त टीचिंग स्टॉफ को उपस्थित कराकर प्रत्यक्ष मिलवाने के निर्देश दिये गये लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद दोनों संस्था के डीन यह कार्य करने में असमर्थ रहे । इसलिए वास्तव में शैक्षणिक स्टॉफ कितना है और जो उनके विवरण में दर्शाया जा रहा है वह सही है या गलत, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी । ए.एफ.आर.सी. सदस्यों द्वारा निरीक्षण में यह पाया कि दोनों ही

संस्था की अधोसंरचना और संपूर्ण तथ्यों पर आंकलन औसत स्तर का ही है। जैसा कि समिति ने तीन आधार निर्धारित किये हैं - (अ) बहुत अच्छा, (ब) अच्छा एवं (स) औसत या साधारण और इस आधार पर ही भविष्य के विकास के लिए भी प्रति छात्र अतिरिक्त राशि देने का तय किया गया है जो क्रमशः औसत या साधारण के लिए 25,000/-, अच्छा के लिए 30,000/-, बहुत अच्छा के लिए 40,000/-रूपये निर्धारित की गई ।

11. इस तरह मंहगाई दर का मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सभी को सम्मिलित रूप से देखते हुए पूर्व में निर्धारित शुल्क में 20 प्रतिशत राशि वृद्धि की जाना समुचित प्रतीत होता है और इसके अतिरिक्त भविष्य के विकास के लिए 25000/- रूपये प्रति छात्र की दर से शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाना समुचित पाती है ।

24. तद्नुसार यह समिति शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई छ.ग. एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, गोढ़ी, भानसोज, रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	एम.बी.बी.एस. महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया	श्रेणी	Fees(Inclusive of Growth & Development Charges, Weightage and all other Misc. Fees per year per student and also for half year Rs.
1.	शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई छ.ग.	2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025	साधारण (Average)	Rs. 7,99,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,99,593.5

2.	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, गोढ़ी, भानसोज, रायपुर छ.ग.	2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025	साधारण (Average)	Rs. 7,45,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,72,593.5

25. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी । प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें । यह स्वैच्छिक है । छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि"(N0PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा ।

26. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी, उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी । प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी ।

27. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई. डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूल, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी ।

28. संस्था छात्र से रू. 25,000/- (रूपए पच्चीस हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशन मनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी ।

29. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

30. यह फीस शिक्षण सत्र 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी ।

31. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा ।

32. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है ।

33. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है । केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

34. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू.100/ -(रूपये एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 200/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी ।

35. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी । अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी ।

36. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी ।

37. समिति के द्वारा जो अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है संस्था द्वारा वर्ष 2022-2023 के पश्चात् यदि सभी शुल्कों को समाहित करते हुए कुल राशि यदि छात्रों से कम ली गयी है तो संबंधित छात्र एक माह के भीतर संस्था में जमा करेंगे और यदि संस्था ने छात्रों से अतिरिक्त राशि ली है तो संस्था भी एक माह के भीतर यह राशि छात्रों को विधिवत बैंक के माध्यम से जैसेः- चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा वापस करेंगे ।

38. संस्था प्रति वर्ष गत वर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी ।

संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 24 से 38 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे ।

अतः यह समिति श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांईस, ग्राम गोढ़ी भानसोज रायपुर छ.ग. के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हुए कंडिका-23 के अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु चिकित्सा शिक्षा संचालक, छत्तीसगढ़ की ओर भेजी जाएं ।

(प्रभात कुमार शास्त्री)	(डॉ0 विष्णु दत्त)	(योगेश वर्ल्यानी)	(सैयद अफसर अली)
अध्यक्ष	पदेन सदस्य(चिकित्सा शिक्षा)	सदस्य(वित्त)	सदस्य(विधि)
ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी. एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का निर्धारण शैक्षणिक सत्र 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है

संकल्प दिनांक 13/01/2023

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है ।

2. ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में फीस का पुनरीक्षण शैक्षणिक सत्र 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है ।

3. श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. का प्रथम बार एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है, पूर्व में दिनांक 08/09/2022 को पारित संकल्प द्वारा अंतरिम फीस निर्धारित की गई थी और इस संकल्प के द्वारा उसे अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है ।

4. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया ।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (**Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka**) के प्रकरण में शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

> **154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of theinstitution, investment made, futureplan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.**
>
> **198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.**

6. इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481** का न्यायदृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं :-

> **56. ..... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money .....**
>
> **57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence in education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.**

7. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A. Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा-92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है :-

92."Education, accepted as a useful activity, whether for charity orfor profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है:-

175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to

professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrancetest conducted by the State and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR 2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

9. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि :-

1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :-

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थितिः

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृतिः

(ग) भूमि और भवन का मूल्यः

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्करः

(ड.) प्रशाासन तथा संधारण पर व्ययः

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्यः

(छ) कोई अन्य सुसंगतकारक :

10. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. के सदस्य द्वारा उपरोक्त निजी संस्था का निरीक्षण भी किया गया । संबंधित संस्था, छात्र एवं पालकों को समुचित सुनवाई का अवसर भी दिया गया ।

11. दिनांक 09/01/2023 को समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. संस्था के प्रतिनिधि डॉ. मानिक चटर्जी, डीन, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. उपस्थित हुए, उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया । उन्होंने अपनी ओर से जो फीस प्रस्तावित की है, उसके संबंध में यह तथ्य बताया गया कि फेकल्टी और अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए उन्हें अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है, ताकि अच्छे शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके । उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने काफी अधिक राशि का लोन भी लिया है और यह लेबोरेटरी को व्यवस्थित रखने के लिए, आवश्यक उपकरण क्रय करने के लिए, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए, छात्रों की सुख/सुविधाओं के लिए राशि व्यय की गयी है, इसलिए

उक्त आधार पर उन्होंने फीस रूपये 12,00,000/- निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है ।

12. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के उपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि उपर **PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923)** वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है । यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था । उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है । संस्था को अपने स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए । इस तरह के कोई भी व्यय छात्रों के उपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उपर वर्णित न्यायदृष्टांतों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी ।

13. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जा रही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी । यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

14. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा जरूरी आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे, जो महत्पवूर्ण शीर्ष है, वह निम्नानुसार माने जा सकते हैं:-

Promiment Heads (महत्पवूर्ण शीर्ष)

1. **Teaching staff expenditure**
2. **Non-Teaching Staff expenditure**
3. **Workshop consumable**
4. **Electricity expenditure**
5. **Telephone, internet and softwares**
6. **Water and & Cleaning expenditure**
7. **Travel & Conveyance**
8. **Repairing & Maintenance**
9. **Operation & Administrative expenses**
10. **Printing, Postage and Stationary**
11. **Insurance, Tax**
12. **Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)**
13. **Educational Tour exp.**
14. **Sports & NSS**
15. **Annual social exp.**
16. **Research & Development**
17. **Other misc. expenses**

15. ए.एफ.आर.सी. द्वारा अधिनियम, 2008 की धारा-9 में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संस्था का भ्रमण किया गया, ताकि संस्था को उचित प्रोत्साहन राशि (इंसेटिव) भी दिया जा सके । प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए समिति ने तीन श्रेणियां निर्धारित की है । (अ) बहुत अच्छा **(Very Good)**, (ब) अच्छा **(Good)**, (स) औसत या साधारण **(Average)**

16. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल मेडिकल शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकें । अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें । अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्ति संगत होगा । अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण किया जा रहा है ।

17. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो Observation (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार है :-

> **"While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education"**

18. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है । इस राज्य में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,04,943/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से 2021 के

दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,24,685/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,93,121/- है एवं भारत की वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,50,000/- है ।

19. छ.ग. राज्य चूंकि पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का ही भाग रहा है । अन्य पड़ोसी राज्य जैसे मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित की गयी है उसका भी यहां पर वर्णन किया जाना तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है ।

<u>फीस का तुलनात्मक विवरण राज्यों के बीच निम्नानुसार है :-</u>

स.क्र.	संस्था का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का निर्धारण किया गया	कुल फीस
1.	Chirayu Medical College Hospital, Bhopal (M.P.)	2022-23	13,25000
2.	Amaltas Institute of Medical Sciences, Dewas Road, Ujjain (M.P.)	2022-23	12,32000
3.	Mahaveer Institute of Medical Sciences Research, Badwai, Bhopal(M.P.)	2022-23	10,0000
4.	R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)	2022-23	9,00,000
5.	Vedanta Institute of Medical Institute of Medical Sciences, Palghar, (Maharashtra)	2022-23	16,47,000
6.	Smt. KashibaiNavale Medical College,Narhe, Pune(Maharashtra)	2022-23	13,91,000
7.	N.K.P Salve Institute of Medical Sciences and Reserch Centre, Nagpur, (Maharashtra)	2022-23	11,66,000
8.	SMBT Institute of Medical Scieneds and Research, Nashik , (Maharashtra)	2022-23	11,60,000
9.	K.J. Somaiya Medical and REserch Centre, Sion, Mumbai,	2022-23	11,27,500

	(Maharashtra)		
10.	B K L Walawalkar Rural Medical College, Chiplun, Ratnagiri, (Maharashtra)	2022-23	10,85,000
11.	Ashwini Rural Medical College Hospital &Reserch Centre, Sholapur, (Maharashtra)	2022-23	9,85,000
12.	M.I.M.S.R Medical College, Latur, (Maharashtra)	2022-23	8,15,000
13.	A.C.P.M. Medical College, Dhule, (Maharashtra)	2022-23	6,60,000
14.	Prakash Institute of Medical Sciences and Reserch, Sangli, (Maharashtra)	2022-23	4,84,000

20. इस तरह उपर जो पड़ोस के राज्यों की फीस का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार देखा जाए तो मध्यप्रदेश राज्य में अधिकतम फीस रू. 13,25,000/- एवं न्यूनतम रू. 9,00,000/- है । वहीं महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम फीस रू. 16,47,000/- एवं न्यूनतम रू. 4,84,000/- है । इसमें कुछ नये कॉलेज भी हैं, जिनकी फीस पुराने कॉलेज की अपेक्षा कम रखी गई है, क्योंकि उतने संसाधन नये कॉलेज में नहीं पाए गये तथा कुछ कॉलेजों की फीस ज्यादा है, क्योंकि फीस के निर्धारण में जो गणक विचार योग्य है, उसे ही विचार में लिया जाकर फीस का निर्धारण किया जा सकता है । संबंधित संस्था ने महाराष्ट्र राज्य के वर्धा के दत्ता मेघे कॉलेज की फीस का उल्लेख किया है, जिसकी फीस रूपये 19,50,000/- है। यह संस्था एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा स्वयं ही फीस निर्धारित की है, किसी ए.एफ.आर.सी. द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय जैसा कि उपर इस्लामिक एकेडमी के प्रकरण में उल्लेख किया है कि फीस के निर्धारण के लिए प्रत्येक राज्य में समिति गठित की जानी चाहिए और वही समिति फीस का निर्धारण करेगी, इसलिए संबंधित संस्था द्वारा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस संबंधी विवरण प्रस्तुत किया है वह इस फीस निर्धारण में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

21. पूर्व में राज्य में संचालित श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई छ.ग. एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज, रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. कोर्स हेतु शिक्षण सत्र 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए निम्नानुसार फीस का पुनरीक्षण किया गया है, जो निम्नवत् है :-

स.क्र.	छत्तीसगढ़ राज्य के निजी एम. बी.बी.एस. कॉलेजों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस पुनरीक्षण किया गया	Fees(Inclusive of Growth & Development Charges, Weightage and all other Misc. Fees per year per student and also for half year Rs.
1.	शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई छ.ग.	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 6,45,156/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,22,578/-
2	रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, गोढ़ी, भानसोज, रायपुर छ.ग.	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	Rs. 6,00,156/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,00,078/-

22. <u>एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में फीस पुनर्निर्धारण हेतु तरीका एवं गणना</u> : -

1. नेशनल मेडिकल कौंसिल द्वारा 150 सीटों के मेडिकल कॉलेज के लिए जो न्यूनतम शिक्षकों का अनुपात (Ratio) निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार प्रोफेसर-06, एसोसिएट प्रोफेसर-17, असिस्टेंट प्रोफेसर-31, कुल प्रोफेसर-54 तथा रेसिडेंट के लिए, सिनियर रेसीडेंट-26, जुनियर रेसीडेंट-32, डिमांस्ट्रेटर-17, कुल रेसीडेंट-75 निर्धारित की गई है ।

2. श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. द्वारा जो व्यय के आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं, इसके संबंध में ए.एफ.आर.सी. के वित्त सदस्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री योगेश वर्ल्यानी द्वारा संबंधित संस्था के व्यय के ऑकड़ों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि संस्था का अभी मेडिकल कालेज संचालन का एक वर्ष ही पूर्ण हुआ है और उनके खातों की जांच करने पर यह भी पाया गया कि उन्होंने 31 मार्च 2023 तक के खर्चों का अनुमान लगाकर जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 की आय को सम्मिलित दिखाया है और जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के आय को अनुमानतः सम्मिलित किया है उसके बावजूद संस्था को कुल लाभ 9,27,54,170.24 रूपये होना प्रदर्शित हो रहा है जबकि शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक लाभ के लिए न चलाया जाकर लाभ-हानि के बगैर संचालित किये जाना चाहिए और इस आधार पर उनके खाते के आंकड़ों के आधार पर चाही गई फीस में कमी की जाना चाहिए ।

3. संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा स्वयं का अस्पताल भी संचालित किया जा रहा है, जिसे अपने व्यय पर ही वे संचालित कर रहे हैं । छात्रों की फीस पर वह आश्रित नहीं है, संस्था को इससे भी आय प्राप्त होती है और इसके लिए जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनका भी उपयोग संस्था द्वारा लिया जाता है, उसमें होने वाले व्यय को फीस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, बल्कि वह संस्था की आय का ही स्त्रोत है । संस्था द्वारा जो व्यय के ऑकड़े प्रस्तुत किया गया है वह काल्पनिक परिलक्षित होते हैं ।

4. समिति द्वारा इस राज्य में इस संस्था के अतिरिक्त जो दो अन्य मेडिकल कालेज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस जुनवानी भिलाई एवं

रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज संचालित हैं जिनकी एम.बी.बी.एस. की फीस का अभी पुनर्निर्धारण करते हुए श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस जुनवानी भिलाई की फीस 7,99,187/- रूपये वार्षिक एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, गोढ़ी भानसोज की फीस 7,45,187/- रूपये वार्षिक निर्धारित की गई है, उसे भी श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस मोवा के निर्धारण में विचार में लिया ही जावेगा ।

5. ए.एफ.आर.सी. सदस्यों द्वारा निरीक्षण में यह पाया कि संस्था की अधोसंरचना और संपूर्ण तथ्यों पर आंकलन अच्छा स्तर का ही है । जैसा कि समिति ने तीन आधार निर्धारित किये हैं - (अ) बहुत अच्छा, (ब) अच्छा एवं (स) औसत या साधारण और इस आधार पर ही भविष्य के विकास के लिए भी प्रति छात्र अतिरिक्त राशि देने का तय किया गया है जो क्रमशः औसत या साधारण के लिए 25000/-, अच्छा के लिए 30000/-, बहुत अच्छा के लिए 40000/-रूपये निर्धारित की गई । इस तरह इस संस्था को 30000/- रूपये प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाना समिति समुचित पाती है ।

6. शैक्षणिक शुल्क के निर्धारण में शैक्षिक स्टॉफ का वेतनमान और उसके अतिरिक्त अन्य खर्चों के लिए 30 प्रतिशत राशि एवं भविष्य की मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुए 7 प्रतिशत राशि के आधार पर गणना की जाती है । जैसा कि वित्त सदस्य ने श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस के द्वारा प्रस्तुत किये गये खाता की जांच में पाया कि अनुमान को भी व्यय में शामिल किया गया है और उसके बावजूद संस्था को लाभ 9,27,54,170.24 रूपये

होना परिलक्षित हुआ है । ऐसी स्थिति में जब अंतरिम फीस जो निर्धारित की गई है उसके आधार पर संस्था को हानि हुई हो, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इस राज्य में ही पूर्व से कार्यरत मेडिकल कालेज की फीस का पुनर्निर्धारण किया गया है और निरीक्षण में श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस की अधोसंरचना और अन्य चीजें अच्छा श्रेणी की पाई गई है जबकि अन्य दो कालेज का स्तर साधारण (औसत) रहा । ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रारंभ के वर्षों में नेशनल मेडिकल कौंसिल अधिक शैक्षिक स्टॉफ की आवश्यकता नहीं बताता परन्तु भविष्य में उसमें वृद्धि की जाती है तो आगे संस्था को अतिरिक्त राशि भी खर्च करना पड़ेगी, इसका भी अनुमान सहज लगाया जा सकता है और जैसा कि अच्छा श्रेणी के लिए 30,000/- रूपये प्रति छात्र प्रोत्साहन राशि की पात्रता भी इस संस्था की बनती है जबकि राज्य के अन्य दो मेडिकल कालेज का स्तर औसत होने से उन्हें केवल 25,000/- रूपये प्रति छात्र प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता पाई गई है । इस तथ्य को भी विचार में रखते हुए श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस का शैक्षणिक शुल्क 7,50,187/- रूपये वार्षिक निर्धारित किया जाना समिति समुचित पाती है।

7. संबंधित संस्था यूनिफार्म, आई.डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूल, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों में कोई अतिरिक्त राशि नहीं ले सकेगी, क्योंकि फीस का निर्धारण करने के समय इन समस्त व्ययों का अनुमान लगाते हुए ओव्हरहेड खर्च 30 प्रतिशत स्वीकृत किए जा रहे हैं । यदि इन कार्यों के लिए कोई भी राशि ली जाती है तो उस संस्था के उपर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

21/8/26

23. तद्नुसार यह समिति श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	एम.बी.बी.एस. महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया	श्रेणी	Fees(Inclusive of Growth & Development Charges, Weightage and all other Misc. Fees per year per student and also for half year Rs.
1.	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग.	2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024	अच्छा (Good)	Rs7,50,187/- per year upto course tenure of four year and for remaining half year Rs. 3,75,093.5/-

24. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी । प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें । यह स्वैच्छिक है । छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि" (N0 PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा ।

25. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी, उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी । प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी ।

26. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई. डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूल, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी ।

27. संस्था छात्र से रू. 25,000/- (रूपए पच्चीस हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशन मनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी ।

28. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

29. यह फीस शिक्षण सत्र 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस उनके पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी ।

30. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा ।

31. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है ।

21/5/23

32. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है । केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

33. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू.100/ -(रूपये एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरें महीने से रू. 200/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी ।

34. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी । अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी ।

35. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी ।

36. समिति के यह जो अंतिम शुल्क रूपये 7,50,187/- निर्धारित किया गया है संस्था द्वारा वर्ष 2021-2022 के पश्चात् यदि सभी शुल्कों को समाहित करते हुए कुल राशि यदि छात्रों से कम ली गयी है तो संबंधित छात्र एक माह के भीतर संस्था में

जमा करेंगे और यदि संस्था ने छात्रों से अतिरिक्त राशि ली है तो संस्था भी एक माह के भीतर यह राशि छात्रों को विधिवत बैंक के माध्यम से जैसेः- चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा वापस करेंगे ।

37. संस्था प्रति वर्ष गत वर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी ।

संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 23 से 37 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेब्रसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे ।

अतः यह समिति श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, मोवा रायपुर छ.ग. के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हुए कंडिका-23 के अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु चिकित्सा शिक्षा संचालक, छत्तीसगढ़ की ओर भेजी जाएं ।

(प्रभात कुमार शास्त्री)	(डॉ0 विष्णु दत्त)	(योगेश वर्ल्यानी)	(सैयद अफसर अली)
अध्यक्ष	पदेन सदस्य(चिकित्सा शिक्षा)	सदस्य(वित्त)	सदस्य(विधि)
ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.